POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.03.2025

1.थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा निजी हॉस्टल संचालक को धमकी व खाली गाडी पर फायर करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 पिस्टल मय 07 कारतूस जिन्दा 32 बोर, 02 तमंचे .315 बोर बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **04.03.2025** को **थाना नॉलेज पार्क पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये निजी हॉस्टल संचालक को धमकी व खाली गाडी पर फायर करने वाले 04 अभियुक्तों 1. सोनू उर्फ हर्देश पुत्र राजपाल उम्र करीब 30 वर्ष 2. पीके भाटी उर्फ कौशल भाटी पुत्र विक्रम सिंह उम्र करीब 27 बर्ष 3. अर्चित पुत्र केहर सिंह उम्र करीब 21 वर्ष 4. दीपक नागर पुत्र नरेन्द्र सिंह उम्र करीब 27 वर्ष को गुर्जरपुर रेलवे लाइन के पास खण्डहर से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से 02 पिस्टल मय 07 कारतूस जिन्दा 32 बोर, 02 तमंचे .315 बोर बरामद।

घटना का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा दिनांक 22.02.2025 को योजनाबद्ध तरीके से एक साथ मिलकर निजी हॉस्टल संचालक के ऊपर फायर किया था और मौके से भाग गये थे तथा जंकी एप्प के माध्यम से 02 करोड रूपये की रंगदारी की मांग की थी।

अभियुक्तों का विवरण--

1. सोनू उर्फ हर्देश पुत्र राजपाल निवासी मठैया फतेहपुर थाना आहार जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 30 वर्ष
2. पीके भाटी उर्फ कौशल भाटी पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर थाना आहार जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 27 बर्ष
3. अर्चित पुत्र केहर सिंह निवासी भगवानपुर बांगर थाना किठौर जिला मेरठ उम्र करीब 21 बर्ष
4. दीपक नागर पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी मडईया फतेहपुर थाना आहार जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 27 बर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 52/2025 धारा 52/2025 धारा 109/308(2)/324(4)/61(2) बीएनएस व 27 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नॉलेजपार्क गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

02 पिस्टल मय 07 जिन्दा कारतूस 32 बोर व 02 तमंचे .315 बोर

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा फर्जी कागजात तैयार करके जमीन को फर्जी तरीके के बेचने के उद्देश्य से सौदा करने वाले गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी कागजात, आधार कार्ड, पेन कार्ड, किसान बही, खसरा, खतोनी की फर्जी कापी बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा ग्राम शाहबेरी के खसरा 168 में 2.009 हेक्टेयर भूमि जो श्री मुजाहिद हुसैन पुत्र स्व0 जाहिद हुसैन खाँ निवासी शाहबेरी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर हालपता- कस्बा डासना जिला गाजियाबाद जो वर्तमान में नगर पंचायत डासना के चेयरमैन है की जमीन को फर्जी मुजाहिद हुसैन खाँ के नाम से फोटो लगाकर, पेन कार्ड, आधार कार्ड, किसान वही, खसरा व खतोनी को कूचरचित तरीके से तैयार कराकर सभी अभियुक्तगण के द्वारा फर्जी कागजात तैयार कराने के बाद उपरोक्त जमीन को करीब 95 करोड रूपये में बिक्रय करने की साजिश विगत वर्ष 2023 से की जा रही थी। वादी मुकदमा द्वारा उक्त जमीन का फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का विक्रय करने वाले अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 28.2.2025 को थाना बिसरख पर शिकायत की थी वादी के प्रार्थना पत्र पर अंकित आरोप जाँच से सही पाये जाने दिनांक 04.03.2025 को थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 151/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **04.03.2025** को थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियुक्तों राकेश कुमार पुत्र हरीराम 2. सिराजूद्दीन पुत्र सद्दीक 3.महेन्द्र कुमार पुत्र किद्दा सिंह को ग्राम शाहबेरी के खसरा 168 कार से आकर जमीन का भौतिक सत्यापन करने की कार्यवाही करते **गिरफ्तार** किया गया।

पूछताछ विवरण--

1. अभियुक्त राकेश कुमार ने पूछताछ में बताया कि मेरी शैक्षिक योग्यिता 12 तक की है मैं और मेरा साथी बलिन्दर निवासी यमुनानगर हरियाणा दोनो साथ मिलकर जमीनों की खरीद फरोख्त व जमीनों की दलाली का काम करते है और कुछ जमीनों के फर्जी कागजात तैयार कराकर चोरी छिपे बेचकर मोटी रकम कमाते है। पहली बार पुलिस ने मुझे पकडा है बलिन्दर मौके से फायदा उठाकर भाग गया है। हम दोनो के अलावा हमारे साथ में जनक गुर्जर, महेन्द्र कुमार पटवारी, सिराजुददीन , जनेश्वर, रोहित आदि सभी लोग मिलकर जमीनों के फर्जी कागजात तैयार कर मौटे दामों में बेच कर लाभ लेने का काम करते है ।

2. अभियुक्त सिराजुद्दीन ने पूछताछ में बताया कि मै पढा लिखा नही हूँ मै करीब 3 साल से राकेश कुमार, बलिन्दर, महेन्द्र पटावारी, जनक गुर्जर, जनेश्वर व रोहित के साथ मिलकर जमीनों के फर्जी कागजात तैयार कराकर बेचने और धन कमाने में शामिल रहता हूँ इस घटना में मेरे द्वारा अपना फोटो लगाकर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, किसान

वही में फोटो लगाकर मुजाहिद हुसैन खाँ के नाम से खसरा न0 168 ग्राम शाहबेरी की जमीन की बिक्री के लिए तैयार कराये गये थे। यह जमीन हमने करीब 95 करोड रूपये में बेचने का सौदा किया था।

3. महेन्द्र कुमार पटवारी ने पूछताछ में बताया कि मै 10वीं क्लास तक पढा हूँ मुझे लोग पटवारी के नाम से जानते है मै, सिराजुद्दीन, राकेश कुमार, बलिन्दर, महेन्द्र पटावारी, जनक गुर्जर, जनेश्वर व रोहित के साथ मिलकर जमीनों के फर्जी कागजात तैयार कराकर बेचने और धन कमाने में शामिल रहता हूँ इस घटना में मेरे द्वारा मुजाहिद हुसैन खाँ नाम के व्यक्ति के खसरा न0 168 ग्राम शाहबेरी की जमीन की बिक्री के लिए फर्जी कागजात तैयार कराये गये थे। यह जमीन हम सभी मिलकर करीब 95 करोड रूपये में बेचने का सौदा किया था।

बरामदगी का विवरण--

1.एक आधार कार्ड व पेन कार्ड की छाया प्रति फर्जी (मुजाहिद हुसैन खाँ नाम की)

2.एक अदद पेन कार्ड फर्जी(मुजाहिद हुसैन खाँ नाम का)

3. एक अदद किसान वहीं की फोटो कापी फर्जी (मुजाहिद हुसैन खाँ नाम की)

4. एक अदद खसरा की कापी फर्जी (मुजाहिद हुसैन खाँ नाम की)

5. कूटरचित खतौनी की कापी फर्जी (मुजाहिद हुसैन खाँ नाम की)

6. 02 स्मार्ट मोबाइल फोन, 01 अदद कीपैड मोबाइल(घटना मे प्रयुक्त)

7. घटना में प्रयुक्त होण्डा अमेज कार रजि0न0 एचआर 10 एजे 0349

अभियुक्तों का विवरण--

1.राकेश कुमार पुत्र हरीराम नि0 58 ब्रहाम्ण माजरा पो भादरा थाना इसराना जिला पानीपत हरियाणा उम्र करीब 45 वर्ष

2. सिराजूद्दीन पुत्र सद्दीक निवासी बलोदपुर थाना दरौला जिला मेरठ उम्र करीब 70 वर्ष।

3.महेन्द्र कुमार पुत्र किद्दा सिंह नि ग्राम अजीतपुर थाना अगौता जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 38 वर्ष।